

7/10/25

एकल पत्र

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य
वकील प्रार्थी / अप्रार्थी / उभयपक्ष
उपस्थित । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 15/12/25 को पेश हो ।

राजस्थान मण्डल राजस्थान
अजमेर

कमला अलोरिया, सदस्य

15/12/25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अपलोडिंग
रिया गया। वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व आदेशिका
दिनांक 19/9/2008 की पालना में विपक्षी के
बीज. एंडी नोटिस पेश नहीं किए हैं। अतः
पत्रावली अंश तकमील में खारिज की
जाती है। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्त
है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्थान मण्डल राजस्थान
अजमेर